**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)**
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**
**DEPARTMENT OF TRADE & TAXES**
**VYAPAR BHAWAN: I.P.ESTATE: NEW DELHI -110 002**

No.F.3(671)/Policy/VAT/2016/ 251-63 Dated: 19-5-16

## NOTIFICATION

**Whereas**, the Department of Trade and Taxes, Government of National Capital territory of Delhi vide notification No. F.7(433)/Policy-II/VAT/2012/1464 dated 23.3.2012, had notified an online Form T-1 for providing information to the department in respect of movement of petroleum products (except Petrol, Diesel, Aviation turbine Fuel, Petroleum Gas or Compressed Natural Gas), Tobacco and Gutka, consequent to their sale, stock transfer or local movement, for whatsoever reason, by the registered dealers engaged in the trade of these commodities before the actual movement of such goods occurs.

**And whereas,** now the Department of Trade and Taxes has designed and developed a new simplified online Form namely Delhi Sugam- 1 (In short "DS1") in place of Form T-1 for providing information to the Department in respect of movement of any goods from Delhi to any place outside the territory of Delhi due to sale, stock transfer or for whatsoever reason, by the registered dealers by using their login, before actual movement of the goods occurs.

**And whereas**, earlier Form T-1 was only required to be filed for providing information to the department in respect of movement of petroleum products (except Petrol, Diesel, Aviation turbine Fuel, Petroleum Gas or Compressed Natural Gas), Tobacco and Gutka, consequent to their sale, stock transfer or local movement, for whatsoever reason by the registered dealers engaged in their trade, before the actual movement of such goods occur. However, Delhi Sugam -1(DS1) is required to be filed by all the registered dealers for all the commodities/goods before actual movement of the goods occurs.

Therefore, I, S.S. Yadav, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in exercise of the power conferred under section 70 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004, hereby, direct that the details in respect of any commodities/goods to be moved from Delhi to any place outside the territory of Delhi on account of sale, stock transfer or due to whatsoever reason, shall be submitted online, in Form Delhi Sugam-1 (DS1), as annexed with this Notification, by all the registered dealers of Delhi before the actual movement of such goods occurs.

This Notification shall come into force with effect from the 1st June, 2016 in supersession of all previous notifications on this subject.

**(S.S. Yadav)**
**Commissioner, Value Added Tax**

No.F.3(671)/Policy/VAT/2016/ 251-63 Dated: 19-5-16

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi for publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.

2. The Principal Secretary (Finance), Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
3. The Principal Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
4. The Secretary to the Deputy Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, New Delhi.
5. All Special/Addl./Joint Commissioners, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I,P. Estate, New Delhi.
6. The Special Commissioner (PR), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi to arrange to give wide publicity to this notification.
7. The Joint Commissioner (System), Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I,P. Estate, New Delhi to upload the notification on the website of the Department.
8. The Registrar, VAT Appellate Tribunal, Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Joint Director (IT), Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
10. All Asstt. Commissioners/AVATOs Department of Trade and Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi through their Zonal Incharges.
11. The President/Secretary, Sales Tax Bar Association (Regd.), Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
12. All dealers registered with the Department of Trade and Taxes, Department of Trade & Taxes, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi
13. Guard File.

(S. K. Kamra)
Asstt. Commissioner (Policy)

## FORM DELHI SUGAM-1 (DS1)

1. **Sale Type**

| Select from the drop down list |
|---|
| C- Form |
| F -Form |
| H- Form |
| I-Form |
| J-Form |
| Export outside India |
| Others(*Please Specify*) |

2. **Sale Details**

| | |
|---|---|
| Seller's TIN | |
| Invoice No. | |
| Invoice Date | |

3. **Purchaser's/Receiving Person's Details**

| | |
|---|---|
| TIN | |
| Name | |
| State | |

4. **Commodity/Item details**

| Sl. No. | Description | Information |
|---|---|---|
| 1. | Item Name | Select from the drop down list |
| 2. | Delhi VAT rate (%) | Select from the drop down list |
| 3. | Amount/value of the commodity/item | |
| 4. | CST Amount | |

5. **Mode of Transport**

| Sl. No. | Description | Information |
|---|---|---|
| 1. | Mode of Transport | Select from the drop down list |
| | | By Road- Transporter Vehicle |
| | | By Road - own Vehicle |
| | | Through Courier |
| | | By Train |
| | | Through Pipe line |
| | | By Air |
| | | Through Internet |

6. **Transporter's Details**

| Sl. No. | Description | Information |
|---|---|---|
| 1. | Transporter/owner's name | |
| 2. | Vehicle No. | |
| 3. | GR/Airways/RR/Courier receipt No. | |
| 4. | GR/Airways/RR/Courier receipt date | |
| 5. | Likely Date of actual movement of goods from Delhi. | |

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग
व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट,नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0 3(671)/नीति/वैट/2016/ 251-63 दिनांकः 19-5-16

## अधिसूचना

जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यापार एवं कर विभाग ने दिनांक 23/03/2012 की अधिसूचना सं0फा0 07(433)/नीति–।।/वैट/2012/1464 के द्वारा पैट्रोलियम उत्पादों (पैट्रोल, डीज़ल, विमान टरबाइन ईंधन, पैट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को छोडकर), तम्बाकू तथा गुटका के व्यापार में लगे पंजीकृत व्यापारियों को इन वस्तुओं के आवागमन, जो कि बिकी, स्टॉक अन्तरण या स्थानीय आवागमन, किसी भी कारण से हो, की सूचना ऑनलाइन फार्म टी–1 इन वस्तुओं के वास्तविक आवागमन से पूर्व इस विभाग को प्रदान करने के लिए कहा गया था।

और जबकि अब व्यापार एवं कर विभाग ने फार्म टी–1 के स्थान पर एक नया सरलीकृत ऑनलाइन फार्म अर्थात् दिल्ली सुगम–1 (संक्षिप्त में डीएस–1), पंजीकृत व्यापारियों द्वारा अपना लॉगिन इस्तेमाल करते हुए सामान के वास्तविक बहिर्गमन से पूर्व, बिकी, स्टॉक अन्तरण या किसी अन्य कारण से दिल्ली से दिल्ली क्षेत्र के बाहर किसी भी सामान के बहिर्गमन की सूचना विभाग को देने के लिए, बनाया तथा तैयार किया है ।

और जबकि, पूर्ववर्ती फार्म टी–1 केवल पैट्रोलियम उत्पाद (पैट्रोल, डीज़ल, विमान टरबाइन ईंधन, पैट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस को छोडकर), तम्बाकू तथा गुटका के व्यापार में लगे पंजीकृत व्यापारियों को इन वस्तुओं के आवागमन, जो कि बिकी, स्टॉक अन्तरण या स्थानीय आवागमन, किसी भी कारण से हो, की सूचना इन वस्तुओं के वास्तविक आवागमन से पूर्व इस विभाग को प्रदान करने के लिए था हालांकि, दिल्ली सुगम –1 (डीएस–1) सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा किसी भी सामान के दिल्ली से दिल्ली क्षेत्र के बाहर वास्तविक बहिर्गमन, जो कि बिकी, स्टॉक अन्तरण या किसी अन्य कारण से हो, की सूचना विभाग को देने के लिए, भरा जाना आवश्यक है।

इसलिए, मैं, एस0एस0 यादव, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 70 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि बिक्री, स्टॉक अन्तरण या अन्य कारण से दिल्ली से दिल्ली क्षेत्र के बाहर किसी स्थान पर किसी भी वस्तुओं/सामान को ले जाने के संबंध में ऐसे सामान के वास्तविक बहिर्गमन से पूर्व दिल्ली के सभी पंजीकृत व्यापारियों द्वारा विवरण इस अधिसूचना के साथ संलग्न फार्म दिल्ली सुगम–1 (डीएस–1) में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

इस विषय पर सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में यह अधिसूचना 1 जून, 2016 से लागू होगी।

सज्जन सिंह

(एस0एस0 यादव)
आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर

सं0फा0 03(671)/नीति/वैट/2016/ 251-63 दिनांकः 19-5-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र भाग–4 (असाधारण) में आज की तिथि में प्रकाशन हेतु ।
2. प्रधान सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. सचिव, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. समस्त विशेष/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त, कर एवं व्यापार विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
6. विशेष आयुक्त (जन संपर्क), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0इस्टेट, नई दिल्ली को इस अधिसूचना के व्यापक प्रचार की व्यवस्था करने हेतु ।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को इस अधिसूचना को विभाग की बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. पंजीयक, बिक्री कर अपीलीय न्यायाधिकरण, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
9. संयुक्त निदेशक (आईटी), व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
10. समस्त सहायक आयुक्त /सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी, व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली को उनके क्षेत्रीय प्रभारी के माध्यम से ।
11. प्रधान/सचिव, सैल टैक्स बार एसोसिएशन (पंजी0),व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली।
12. व्यापार एवं कर विभाग, व्यापार भवन, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली के सभी पंजीकृत समस्त व्यापारी।
13. गार्ड फाईल ।

( एस0 के0 कामरा )
सहायक आयुक्त (नीति)

# फार्म दिल्ली सुगम–1 (डीएस 1)

1. बिक्री का प्रकार

| |
|---|
| नीचे सूची से चयन करें |
| सी–फार्म |
| एफ–फार्म |
| एच–फार्म |
| आई–फार्म |
| जे–फार्म |
| भारत के बाहर निर्यात |
| अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें) |

2. बिक्री विवरण

| | |
|---|---|
| इन्वाइस/बिल सं0 | |
| इन्वाइस/बिल तिथि | |

3. क्रेता/प्राप्तकर्ता व्यक्ति का विवरण

| | |
|---|---|
| टिन | |
| नाम | |
| राज्य | |

4. सामान/मद विवरण

| क्र0 सं0 | विवरण | सूचना |
|---|---|---|
| 1. | मद का नाम | नीचे सूची से चयन करें |
| 2. | दिल्ली वैट दर (%) | नीचे सूची से चयन करें |
| 3. | सामान/मद की राशि/मूल्य (रू.) | |
| 4. | सीएसटी राशि (रू.) | |

5. परिवहन का माध्यम

| क्र0 सं0 | विवरण | सूचना |
|---|---|---|
| 1. | परिवहन का माध्यम | नीचे सूची से चयन करें |
| | | सड़क द्वारा–ट्रांस्पोर्टेर वाहन |
| | | सड़क द्वारा–अपना वाहन |
| | | कोरियर से |
| | | रेल द्वारा |
| | | पाइप लाईन द्वारा |
| | | हवाई मार्ग द्वारा |
| | | इन्टरनेट के माध्यम से |

6. ट्रांस्पोर्टर विवरण

| क्र0 सं0 | विवरण | सूचना |
|---|---|---|
| 1. | ट्रांस्पोर्टर /मालिक का नाम | |
| 2. | वाहन संख्या | |
| 3. | जीआर/हवाई मार्ग/ आरआर/कोरियर रसीद संख्या | |
| 4. | जीआर/हवाई मार्ग/ आरआर/कोरियर रसीद तिथि | |
| 5. | दिल्ली से सामान के वास्तविक बहिर्गमन की सम्भावित तिथि | |